



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-24082026-275691
CG-DL-E-24082026-275691

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4457]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अगस्त 21, 2026/श्रावण 30, 1948

No. 4457]

NEW DELHI, FRIDAY, AUGUST 21, 2026/SHRAVAN 30, 1948

विद्युत मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 अगस्त 2026

का.आ. 4638(अ).— केंद्र सरकार, सार्वजनिक परिसर (अनाधिकृत कब्जा करने वालों की बेदखली) अधिनियम, 1971 (1971 का 40) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नीचे दी गई सारणी के स्तंभ (2) में उल्लिखित अधिकारी, जो एनटीपीसी लिमिटेड एक सीपीएसई (केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम) का अधिकारी है और भारत सरकार में राजपत्रित अधिकारी के पद के समतुल्य है को उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए संपदा अधिकारी के रूप में नियुक्त करती है, जो उक्त अधिनियम के अधीन संपदा अधिकारी को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग तथा उस पर अधिरोपित कर्तव्यों का निर्वहन, उक्त सारणी के स्तंभ (3) में विनिर्दिष्ट लोक परिसरों की श्रेणियों के संबंध में अपने क्षेत्राधिकार स्थानीय सीमाओं के भीतर करेगा, अर्थात्:-

सारणी

क्र.सं.	अधिकारी का पदनाम	लोक परिसरों की श्रेणियाँ और क्षेत्राधिकार की स्थानीय सीमाएँ
(1)	(2)	(3)
1.	अनुभागीय प्रमुख (कर्मचारी सेवाएँ/प्रशासन), एनटीपीसी लिमिटेड, इंजीनियरिंग कार्यालय परिसर, सेक्टर 24, नोएडा-201301, उत्तर प्रदेश।	(i) एनटीपीसी लिमिटेड से संबंधित सभी परिसर तथा प्लॉट संख्या ए-8ए और ए-9, अर्थात् इंजीनियरिंग कार्यालय और अनुसंधान एवं विकास परिसर, सेक्टर-24, नोएडा, जिला गौतमबुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश में स्थित इसके कार्यालयों के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन सभी परिसर।

	(ii) पावर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट प्लॉट नंबर 5-14 सेक्टर-16ए, नोएडा, जिला गौतमबुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश स्थित एनटीपीसी लिमिटेड से संबंधित सभी परिसर। (iii) प्लॉट नंबर ए-44, ए-71 और सी-55, सेक्टर-33, नोएडा, जिला गौतमबुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश स्थित एनटीपीसी टाउनशिप में एनटीपीसी लिमिटेड के सभी परिसर। (iv) प्लॉट संख्या ए-3, ए-4, बी-6 और बी-7, सेक्टर 62, नोएडा, जिला गौतमबुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश स्थित एनटीपीसी लिमिटेड के सभी परिसर।
--	--

[फा. सं.19/32/2015-ता.।]

आधार राज, संयुक्त सचिव (तापीय)

MINISTRY OF POWER**NOTIFICATION**

New Delhi, the 20th August, 2026

S.O. 4638(E).— In exercise of the powers conferred by section 3 of the Public Premises (Eviction of Unauthorised Occupants) Act, 1971 (40 of 1971), the Central Government hereby appoints the officer mentioned in column (2) of the Table below, being officer of the NTPC Ltd, a CPSE (Central Public Sector Enterprises) and equivalent to the rank of Gazetted Officer in the Government of India, to be estate officer for the purposes of the said Act, who shall exercise the powers conferred and perform the duties imposed on estate officer under the said Act, within the local limits of the jurisdiction in respect of the categories of public premises specified in column (3) of the said Table, namely:-

TABLE

S.No.	Designation of the officer	Categories of public premises and local limits of jurisdiction
(1)	(2)	(3)
1.	Sectional Head (Employee Services/Administration), NTPC Limited, Engineering Office Complex, Sector 24, Noida-201301, Uttar Pradesh.	(i) All Premises belonging to NTPC Limited and under the administrative control of its offices at Plot Number A-8A and A9, namely Engineering Office and Research & Development Complex, Sector-24, Noida, District Gautam Budh Nagar, Uttar Pradesh. (ii) All premises belonging to NTPC Limited at Power Management Institute, Plot Number 5-14 at Sector-16A, Noida, District Gautam Budh Nagar, Uttar Pradesh. (iii) All premises belonging to NTPC Limited at NTPC Township at Plot Number A-44, A-71 and C-55 at Sector-33, Noida, District Gautam Budh Nagar, Uttar Pradesh. (iv) All premises belonging to NTPC Limited at Plot Number A-3, A-4, B-6 and B-7, Sector 62, Noida, District Gautam Budh Nagar, Uttar Pradesh.

[F. No. 19/32/2015-Th.I]

AADHAR RAJ, Jt. Secy. (Thermal)